



225

ep. 30/-

समक्ष न्यायालय श्रीमान् म.प्र. राजस्व मण्डल ग्रामालियर केंप सागर

R-UV-05-111B

शाहिद अली आयु लाभा 42 वर्ष वल्द सैयद अली

पेशा कृषि साकिन- ग्राम हिरनखेडा तह. राहतगढ

जिला सागर म.प्र.

००० आवेदक

/ विस्तृ /

१. म. प्र. ग्रा. सत्त

२०. कामता प्रसाद वल्द मोहनलाल नामदेव

सा. ग्राम हिरनखेडा तह. राहतगढ जिला सागर

००० अनावेदकगण

रा. प. प. ५०४०

प्रस्तुत दिनांक ११/११/१३

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

#### पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अमर आयुक्त सागर संभाग सागर पीठाबीन श्री कबीरपंथी साहब सागर के रा. पुनरीक्षण क्र. ४४८३/६८/२००१-०२नाम पक्षकार शाहिद अली बनाम म.प्र. शासन, कामता प्रसाद में पारित आदेश दिनांक - ०५. ११. १३ के अवैधानिक आदेश से परिवेदित होकर निम्नलिखित सत्यात्मक आधारों एवं विधिविरक तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को निरहत किये जाने हेतु यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

#### प्रकरण के तथ्य

यह कि आवेदक ग्राम हिरनखेडा प.ह.नं. ११० ब.नं. ५२२ रा. नि.म. राहतगढ तहसील राहतगढ जिला सागर का स्थायी निवासी और पेशा से कृषि श्रमिक है।

यह कि ग्राम हिरनखेडा प.ह.नं. ११० के ख. नं. ४०६ आवासीय प्लाट नं. ९ क्षेत्रफल ९०० वर्गफुट याने ३०x३० फुट का फार्म ई १ पट्टा नियम २१ ग्राम स्थल में के भवन निर्माण स्थल में भूमि

००२००

11 NOV 2013

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र. भू. रा. सं. १९५९

-2-

R. 4405. 5/13 (Imm)

26.12.16

11-11

2020